न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 740–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–2–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल अपील प्रकरण कमांक 203/अपील/2010–11.

1–श्री सिंह पुत्र श्री राजाराम सिंह
2–कुंअरसिंह पुत्र श्री राजाराम सिंह
3–अमोलसिंह पुत्र श्री राजाराम सिंह
4–गाविंदसिंह पुत्र श्री राजाराम सिंह
5–बृजभानसिंह पुत्र श्री राजाराम सिंह
निवासीगण ग्राम जमनियां(झमरा) तहसील बेगमगंज,
जिला रायसेन म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

1–अभयसिंह पुत्र श्री राजारामसिंह
2–अवधनारायण पुत्र श्री राजारामसिंह
निवासीगण ग्राम जमनियां (झमरा)
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन
3–श्रीमती गुलाबबाई पत्नि श्री बुंदेल सिह
4–श्रीमती ताराबाई पत्नि श्री रघुवरसिंह
5–श्रीमती इन्द्राबाई पत्नि श्री सुजानसिंह
6–श्रीमती मायासिंह पत्नि श्री गुलाब सिंह
7–श्रीमती रकमबाई पत्नि श्री कन्हेरी सिंह
निवासीगण ग्राम धबारी तहसील मेहरोनी,
जिला ललितपुर म0प्र0
8–श्रीमती हरीबाई पत्नि श्री मनमोहन सिह
निवासीगण खिड़की मोहल्ला बीना तहसील बीना,
जिला सागर म0प्र0
9–श्रीमती रामसखीबाई पत्नि श्री राजेन्द्रसिंह
निवासी ग्राम मरखेरा तहसील रेहली जिला सागर म0प्र0 .....अनावेदकगण

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री आर0एन0गौर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–2–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उभयपक्ष के पूर्वज मृतक भूमिस्वामी राजाराम द्वारा तहसीलदार बेगमगंज के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्ग ग्राम टिकारी स्थित भूमि सर्वे कमांक 127 रकबा 17.16 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 128 रकबा 0.75 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 129 रकबा 4.34 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 130 रकबा 10.55 एवं सर्वे कमांक 148/123 रकबा 3.95 एकड़ के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 38/अ–27/2007–08 दर्ज कर दिनांक 6–4–2009 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–11–2010 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण संहिता की धारा 178 में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही कर वैध वारिसों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणदोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 16–2–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकरी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्वर्गीय राजाराम द्वारा अपने जीवनकाल में प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा उभयपक्ष के मध्य कर दिया गया था और पिता द्वारा जीवनकाल में किये गये बटवारे से यदि अनावेदकगण असंतुष्ट थे तब उन्हें व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये था, राजस्व न्यायालय में नहीं । सजाराम के जीवनकाल में हुये बटवारे का निराकरण नहीं कर सकते हैं । यह

भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा 20 वर्ष पूर्व हो जाने के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वारिसान को बिना अभिलेख पर लाये आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है, अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 व 2 का स्वत्व एवं आधिपत्य प्रश्नाधीन भूमि पर नहीं होने से वह सहखातेदार नहीं है और उन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । इस वैधानिक बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्व0राजाराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी उपस्थिति में स्वत्व भाग का भुगतान कर दिया गया है जिस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विवाद की बाहुलता बढ़ी है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत फर्द बटांन तैयार कराकर उस पर आपत्ति सुनकर बटवारा किया गया है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पुनः संहिता की धारा 178 के नियमों के पालन कर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्वर्गीय राजाराम की दो पत्नियॉ थी, प्रथम पत्नी मानकुवंरबाई से अभयसिंह, अवधनारायण, गुलाबबाई, इंद्राबाई, मायाबाई का जन्म हुआ है और द्वितीय पत्नी गिरजाबाई से हरिबाई, रकमबाई, रामसखीबाई, श्री सिंह, कुवंरसिंह अमोलसिंह, गोविंद एवं बृजभान सिंह का जन्म हुआ है । तहसीलदार के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान ही राजाराम की मृत्यु हो गई थी । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार को दोनों पत्नीयों के मध्य 1/2–1/2 भाग के मान से बटवारा करना चाहिये था, परन्तु तहसीलदार द्वारा समस्त उभयपक्ष के मध्य बराबर बटवारा करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष स्वत्व का प्रश्न उठाया गया था, अतः उन्हें 3 माह लिये कार्यवाही स्थगित करना चाहिये थी, परन्तु उनके द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं की जाकर संहिता की धारा 178 के पालन में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बटवारा आदेश

निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई और उनके आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् उद्घोषणा का प्रकाशन नहीं किया गया है और तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों पर भी विचार नहीं किया गया है जिसके तहत यदि कोई भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारियों के मध्य भूमि का बटवारा करना चाहता है तो वह विधिवत् आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा और तहसील न्यायालय समस्त वारिसों को सुनकर बटवारा आदेश पारित कर सकेगा । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है जिसे निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त भूमिस्वामी राजाराम की अन्य ग्रामों में भी भूमियॉ हैं, उन पर भी विचार करना होगा और साथ ही सभी वारिसों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये उनके हिस्से पर भी विचार करना होगा । तहसीलदार द्वारा इस बिन्दु पर भी कोई विचार नहीं किया गया है कि आवेदकगण के अन्य भाईयों को अपने पिता से भूमि प्राप्त हुई है अथवा नहीं । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–2–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर